भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2687
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

2687. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार नामांकित छात्रों और संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है और यदि हां, तो इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भारतीय युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता में स्थित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण (बीओएटी/बीओपीटी) के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

एनएटीएस नए स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और डिग्री प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्नातक/डिग्री प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका 9,000 रुपए प्रति माह और तकनीशियन/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह है। भारत सरकार शिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका का 50% प्रदान करती है।

एनएटीएस ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 1.48 लाख, 2.68 लाख और 2.57 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11 मार्च 2025 तक 4.73 लाख से अधिक नए प्रशिक्षु नियुक्त किए जा चुके हैं।

सरकार ने छात्रों, उद्योग और उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को एक मंच पर लाने के लिए एनएटीएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। एनएटीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से वृत्तिका के अपने हिस्से का वितरण शुरू कर दिया है। अब तक, 8.81 लाख से अधिक सफल डीबीटी लेनदेन किए जा चुके हैं।

एनएटीएस के तहत नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रशिक्षुता मेलों, करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों और उद्योग-संस्थान बैठकों के रूप में कई आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, एनएटीएस की पहुंच में सुधार करने के लिए, सीएससी नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगे प्रशिक्षुओं और पंजीकृत उद्योगों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में उल्लिखित है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वर्ष-वार तथा राज्य-वार नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या तथा योजना के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24	
	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग
अंडमान और निकोबार द्वीप	20	12	32	12	19	12
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	4793	34	12706	57	9565	188
अरुणाचल प्रदेश	93	26	71	22	15	22
असम	1279	282	1967	244	1380	287
बिहार	914	167	4621	379	7112	538
चंडीगढ़	49	38	270	51	800	108
छत्तीसगढ	1,050	85	2,535	92	847	100
दमन-दीव और दादरा नगर हवेली	119	39	186	41	215	47
दिल्ली	2029	234	3257	324	6499	431
गोवा	529	118	766	123	798	137
गुजरात	4,824	841	8,278	987	9,516	1083
हरियाणा	4252	795	16275	985	25691	1310
हिमाचल प्रदेश	527	83	486	200	1106	317
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	29	73	158	88	272	102
झारखंड	2800	319	3751	324	3387	482
कर्नाटक	6402	20	10314	152	11113	330
केरल और लक्षद्वीप	2555	12	8145	93	8478	138
मध्य प्रदेश	1,191	229	2,278	250	2,239	280
महाराष्ट्र	34,539	1862	55,664	2099	50,048	2466
मणिपुर	33	13	29	13	3	13
मेघालय	31	12	29	12	67	12
मिजोरम	28	31	43	33	33	33
नागालैंड	3	10	4	13	10	16
ओडिशा	21798	491	34938	565	15538	679
पुदुचेरी	304	3	718	31	422	25
पंजाब	390	114	480	136	2614	195
राजस्थान	945	151	4492	340	7467	340
सिक्किम	475	26	405	35	601	40

राज्य	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24	
	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग	नियोजित कुल प्रशिक्षु	आज तक पंजीकृत कुल उद्योग
तमिलनाडु	33332	58	45967	232	28453	408
त्रिपुरा	120	21	189	23	141	23
उत्तर प्रदेश	6734	862	16846	1049	11587	1227
उत्तराखंड	696	128	3084	164	1779	194
पश्चिम बंगाल	15629	467	29250	618	49890	678
योग	148512	7656	268234	9787	257705	12261

*****